

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

टेलीफोन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

महाप्रबंधक

विषय : टेलीफोन नं. ----- की सुरक्षित अभिरक्षा

महोदय,

कृपया मेरे /हमारे नाम से कार्य कर रहे टेलीफोन को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की जाये। विवरण इस प्रकार है :-

1	उपभोक्ता का नाम : (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	सुरक्षित अभिरक्षा अवधि के दौरान पत्र व्यवहार का पता :	
3	पता जहां टेलीफोन कार्य कर रहा है :	
4	वह अवधि तारिख जिसके लिए सुरक्षित अभिरक्षा अपेक्षित है : क) अवधि तिथि सहित दिनांक ----- से ----- तक ख) यदि पहले ही सुरक्षित अभिरक्षा में हो तो बताएं कि वर्तमान सुरक्षित अभिरक्षा अवधि को किस तिथि तक बढ़ाया जाए।	
5	सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि के दौरान क्या टेलीफोन नंबर को आरक्षित रखा जाना है। यदि हां तो 100% किराया देय होगा।	हां / नहीं
6	लाइन के साथ इस समय लगे उपकरणों का विवरण :	
7	क) पिछले बिल के भुगतान की तिथि : ख) पिछले बिल भुगतान की फोटो प्रति संलग्न करें	

टिप्पणी :- 1. आप म.टे.नि.लि. द्वारा आगे कार्रवाई के लिए अपने भरे हुए आवेदन प्रपत्र को हमारे फेक्स नं. ----- पर भेज सकते हैं।

2. अपना संपर्क नं. दें : (कार्यालय) ----- (निवास) ----- (फेक्स नं.)-----

---

### निर्देश

1. टेलीफोन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवेदन पर वह व्यक्ति हस्ताक्षर करें, जिसके नाम से टेलीफोन कार्य कर रहा है। फर्म इत्यादि के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करें।
2. कम समयावधि सुरक्षित अभिरक्षा (7दिन से 90 दिन तक) : नॉन इलैक्ट्रानिक एवं इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में जहां उपभोक्ता नियमित एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है- साधारण किराया लिया जाएगा।
3. \* दीर्घ कालीन सुरक्षित अभिरक्षा (90 दिन से अधिक)।  
(क) नॉन-इलैक्ट्रानिक एवं इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज, जिनमें उपभोक्ता नियमित एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है - 90 दिन का पूरा किराया तथा उनके बाद सामान्य किराए का 40 प्रतिशत।  
(ख) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज : यदि सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि 6 माह या इससे अधिक है - जिसमें उपभोक्ता नियमित एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध है - 6 माह का पूरा किराया और उसके बाद सामान्य किराए का 40 प्रतिशत।
4. सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि : मूल अवधि तथा बढ़ाई गई अवधि दोनों के लिए किराये का अग्रिम भुगतान करना होगा। सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि बढ़ाई जाने की स्थिति में किराए के अग्रिम भुगतान का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा।
5. सुरक्षित अभिरक्षा के लिए एवं टेलीफोन को पुनः चालू करने के लिए उपभोक्ता कम से कम 7 दिन पूर्व लिखित सूचना देगा।
6. सुरक्षित अभिरक्षा में एवं जाने वाली टेलिफोन लाइन पर लगे उपसाधनों को बन्द कर दिया जाएगा।
7. कृपया फैक्स पर प्राप्त किए गए आवेदन पत्र की फोटो प्रति करके अथवा अच्छे कागज पर प्राधिमानतः बांड पेपर पर टंकित करके स्पष्ट अक्षरों में भरें।
8. भरा हुआ आवेदन पत्र मंडल उपभोक्ता सेवा केन्द्र : जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत टेलीफोन इस समय कार्य कर रहा है, में जमा कराएं।  
\* यदि टेलीफोन नंबर तथा केबल युग्म को आरक्षित रखवाना हो तो सुरक्षित अभिरक्षा की पूरी अवधि के लिए पूरा किराया लिया जाएगा।